



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई


क्र./एफ- /स्टे. आयु./2021-22/4216

भिलाई दिनांक 24/02/22

//आदेश//

पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री विद्याधर देवांगन, प्रभारी अधिकारी आवास गुमटी को नगर निगम क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना के "मोर मकान मोर चिन्हारी" (एएचपी) तथा "मोर मकान मोर आस" अंतर्गत स्लम/गैर स्लम में किराये के आवासगृह में निवासरत् पात्र हितग्राहियों को योजना में निर्मित दो कमरों का पक्का आवास आबंटन सम्बंधी सम्पूर्ण दायित्व एवं नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69 (4) का उपयोग करते हुए निगम क्षेत्रान्तर्गत शासन के प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों का आबंटन के पश्चात इकरारनामा में हस्ताक्षर करने आदेशित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(प्रकाश कुमार सर्वे)
रा.प्र.से.


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ. क्र./एफ- /स्टे. आयु./2021-22/4217

भिलाई दिनांक 24/02/22

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता-1/2 एवं 3 नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त 1/2 नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त 1/2/3/4 एवं 5 नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. कार्यपालन अभियंता, 1/2/3/4 एवं 5 नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री आवास योजना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
8. अधीक्षक, स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
10. प्र. सहा. राजस्व अधिकारी, 1/2/3/4 एवं 5 नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
11. श्री विद्याधर देवांगन, प्रभारी अधिकारी, आवास/गुमटी नगर पालिक निगम भिलाई को आदेशार्थ एवं पालनार्थ।
12. सम्बंधित सर्व श्री को सूचनार्थ।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई